


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1084 पार्ट)/2018/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 181 दिनांक 15.02.2016 (क्रम संख्या 02 पर अंकित) द्वारा श्रीमती सुमित्रा मीणा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड दांता (सीकर) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-


1. दिनांक 21.09.2017 से 31.12.2017 तक 102 दिवस का उपाजित अवकाश।
2. दिनांक 01.01.2018 से 18.01.2018 तक 18 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1084 पार्ट)/2018/420 दिनांक:- 27/02/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड दांता (सीकर)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर